



इस कार्यालय का पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/पार०स्था०/सोन/2020 दिनांक-27.02.2020 एवं मरेप्र(का०)/समस्तीपुर मंडल, पूर्व मध्य रेल का पत्र सं०-का/283/इंजी०/ज०वि०प्र०/पार०स्था०/सम०/19/पार्ट-11 दिनांक-15.10.2019 के द्वारा श्री विकास कुमार, ट्रैकमेन्टेनर-III वेतनमान 5200-20200+1900 जीपी (Reversion on TM-IV, GP-1800) अधीन वसेई/पथ/जनकपुर रोड, समस्तीपुर मंडल तथा श्री उमेश कुमार, ट्रैकमेन्टेनर-IV वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी अधीन वसेई/पथ/मुजफ्फरपुर, सोनपुर मंडल के बीच पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

मरेप्र(कार्मिक)/समस्तीपुर मंडल के पत्र सं०-का/283/इंजी०/ज०वि०प्र०/अं०मं०/पार०स्था०/सम०/19/पार्ट-11 दिनांक-17.02.2021 के द्वारा श्री विकास कुमार विरमित होकर इस कार्यालय में योगदान हेतु दिनांक-18.02.2021 को रिपोर्ट किये हैं, को इनके अनुरोध पर समान पद, वेतन, वेतनमान एवं ग्रेड पे में वसेई/पथ/गोरौल के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

श्री विकास कुमार का अन्य सेवा विवरण हेतु मरेप्र(का०)/समस्तीपुर का पत्र दिनांक-17.02.2021 की छायाप्रति संलग्न है। इनका रिपोर्ट करने की तिथि-18.02.2021 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की तिथि को द्यूटि हेतु प्रतिक्षारत रहे है।

चूंकी ये पारस्परिक स्थानान्तरण पर आये है अतः स्थानान्तरण संबंधी कोई लाभ देय नहीं होगा एवं वरीयता नियमानुसार देय होगी। नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने यूनिट में स्थानान्तरण नहीं लेंगे।

कर्मचारी के आवश्यक पहचान हेतु पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर का नमूना का निशान राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित है।

 <p>सहायक कार्मिक अधिकारी पु. म. रेल. सोनपुर मंडल</p>	<p>Vikash Kumar</p>
	

उपरोक्त पर वमई(समन्वय)/सोनपुर का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)
सहायक कार्मिक अधिकारी-11
कृते मरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर
दिनांक-08.03.2021

सं०- का/283/05/इंजी०/अम-अरे/सोन/पोस्टिंग/स्पेयरिंग/2020
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. मरेप्र(का०)/समस्तीपुर, पूर्व मध्य रेल-कृपया उपरोक्त कर्मचारी का लेखा विभाग द्वारा विधित्त सेवा अभिलेख, अवकाश खाता समई(दक्षिण)/मुजफ्फरपुर कार्यालय को उपलब्ध करवायें।
2. वमई(समन्वय), वमविप्र/सोनपुर।
3. समई(दक्षिण)/मुजफ्फरपुर।
4. वसेई/पथ/गोरौल, वसेई/पथ/मुजफ्फरपुर।
6. संबंधित कर्मचारी। 7. अभिलेख प्रति। 8. कार्यालय आदेश प्रति।
9. मंडलमंत्री/ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एशो एवं ओबीसी एशो सोनपुर मंडल।

कृते मरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर